



## Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian(Plot wise)

Anchal- बलियापुर Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 29

खता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
416	नैनी गोपाल बिंद , पिता-कालि पद बिंद, जाति- गन्धर्वबनिक एवं प्रमाथ नाथ बिंद वि धिरेन्द्र नाथ बिंद , पिता- बलराम बिंद, जाति- गन्धर्वबनिक एवं विजय वाला दासी , पिता-अभय बिंद, जाति- गन्धर्वबनिक एवं मोस्मात चम्पा वाला दासी , पति-आलाथ बिंद, जाति- गन्धर्वबनिक एवं शंकर बिंद वो निमाई बिंद , पिता-मुकुन्द बिंद, जाति- गन्धर्वबनिक एवं भुतनाथ बिंद , पिता- शशीभूषण बिंद, जाति- गन्धर्वबनिक	4516		0 ए	46.87 डि	0 हे	0		1 / 414
416	अनिता देवी , पति-वैकुण्ठ ठाकुर, जाति- .	4516		0 ए	5 डि	0 हे	5	दा .खा केश स. 277 (IV) 2015-16	1 / 1162
416	दयावंती देवी , पति-स्व. दिलीप प्र. वर्मा, जाति- .	4516		0 ए	0 डि	0 हे	2	दा.खा केश स.579 (IV) 2015-16	1 / 1174
416	महेन्द्र प्रसाद मेहता , पिता-भुवनेश्वर प्रसाद मेहता , जाति- .	4516		0 ए	0 डि	0 हे	0	दाखिल खारिज केश संख्या - 276(IV)/2015-16	2 / 1423
416	श्री कैलाश कुमार , पिता-श्री दिनेश साव , जाति- कूलु (तेली)	4516		0 ए	5.5 डि	0 हे	1	नामान्तरण मुकदमा संख्या 224/2017 - 2018	3 / 11
		4516		0 ए	5.5 डि	0 हे			

					डि				
416	श्री राम बाबु सिंह , पिता-स्व० अमर प्रताप सिंह , जाति- राजपुत	4516		0 ए	0.67 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 52/2018 - 2019	3 / 19
416	श्रीमती फूलबन्ती देवी , पति-गंगाधर मोदक , जाति- मयरा एवं श्रीमती प्रिया देवी , पति-कृष्णा मोदक , जाति- मयरा	4516		0 ए	4.76 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 539/2018 - 2019	3 / 52
416	श्रीमती रंजु देवी , पति-श्री उत्तम कुमार मंडल , जाति- सुड़ी	4516		0 ए	2.74 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 649/2018 - 2019	3 / 62
416	श्री इन्द्रजीत सिंह , पिता-स्व० शत्रुजीत सिंह , जाति- राजपुत	4516		0 ए	2.7 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 693/2018 - 2019	3 / 65

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

11/23/2019

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।